रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 846] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2004/आश्विन 8, 1926

No. 846] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2004/ASVINA 8, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2004

आयकर

का.आ. 1074(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उपधारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम को विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम आय की विवरणी इंटरनेट पर प्रस्तुत करना स्कीम, 2004 है ।**

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

(3) यह ऐसे किसी व्यष्टि को लागू होती है जिसको स्थायी लेखा सं0 आवंटित किया गया है और जिसकी "वेतन" शीर्ष के अधीन आय है, किन्तु "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कोई आय नहीं है, जो इस स्कीम की अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट नगरों में से किसी में कर के लिए निर्धारित किया गया है या निर्धार्य है ;

2. **परिभाषाएं** - इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "अंकीय हस्ताक्षर" से कोई ऐसा अंकीय हस्ताक्षर अभिप्रेत है जो किसी प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जो भारत के प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है ;

(घ) "पात्र व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यष्टि अभिप्रेत है जिसको स्थायी लेखा सं0 आवंटित किया गया है और जिसकी "वेतन" शीर्ष के अधीन आय है, किन्तु "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कोई आय नहीं है जो इस स्कीम की अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट नगरों में से किसी में कर के लिए निर्धारित किया गया है या निर्धार्य है ;

(ङ) "ई-विवरणी प्रशासक" से कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो आयकर आयुक्त की पंक्ति से नीचे का नहीं है, जिसे बोर्ड द्वारा इस स्कीम के प्रशासन के प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया गया है ;

(च) "इंटरनेट विवरणी" से इस स्कीम के अधीन प्रस्तुत किए गए अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रानिक के रूप में पारेषित विवरणी के आंकड़े अभिप्रेत और उसके संलग्नक है ;

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं ।

3. **इंटरनेट पर विवरणियां फाइल करना** - कोई पात्र व्यक्ति, अपने विकल्प पर इस स्कीम के अधीन अपनी आय की विवरणी जो निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, आय की ऐसी विवरणी के फाइल करने की नियत तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत कर सकेगा ।

4. **आय की पुनरीक्षित विवरणी** - कोई पात्र व्यक्ति यदि उसने इस स्कीम के अधीन उस निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत कर दी है तो वह अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस स्कीम के अधीन आय की पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

5. **इंटरनेट पर विवरणी फाइल करने की प्रक्रिया** - (1) पात्र व्यक्ति स्वयं को वेबसाइट पर इस प्रयोजन के लिए ई-विवरणी प्रशासक द्वारा अभिहित रूप में रजिस्टर कर सकेगा । रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, पात्र व्यक्ति को एक उपयोक्ता पहचान सं0 और एक पासवर्ड आवंटित किया जाएगा ।

(2) पात्र व्यक्ति अपनी उपयोक्ता पहचान सं0 पासवर्ड का उपयोग कर और अभिहित वेबसाइट पर लाग आन करके और विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक फारमेट में अपनी आय की विवरणी तैयार करके, वेबसाइट पर उपलब्ध प्राधिकृत विवरणी तैयार करने के साफ्टवेयर का उपयोग करके विवरणी फाइल करेगा । पात्र व्यक्ति-

(i) बैंक खाते की विशिष्टियां भी देगा जिसमें अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, प्राप्त करने की इच्छा रखता है ; और

(ii) जारी करने वाले द्वारा सम्यक रूप से अंकीय हस्ताक्षरित इलैक्ट्रानिक रूप से स्रोत पर की गई कर की कटौती का प्रमाण पत्र भी संलग्न करेगा ।

(3) पात्र व्यक्ति अपने अंकीय हस्ताक्षर का उपयोग करके अपनी आय की विवरणी और उसके संलग्नकों को हस्ताक्षरित करेगा ।

(4) पात्र व्यक्ति वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार आय की विवरणी उसके संलग्नकों और अनुलग्नकों सहित अपलोड (प्रस्तुत) करेगा ।

(5) इस प्रकार फाइल की गई विवरणी को स्वीकार करने और ऐसी विवरणी को स्वीकार करने के लिए अभिस्वीकृति जारी करने से पूर्व स्वप्रमाणित विधिमान्य चैक जो ई-विवरणी प्रशासक द्वारा विनिश्चित किए जाए यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार फाइल की गई विवरणी विधिमान्य विवरणी है, भुनाया जाएगा । ऐसे विधिमान्य चैकों में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेगा-

(क) क्या स्थायी लेखा सं0 सही रूप से उद्धृत किया गया है ;

(ख) क्या अंकीय हस्ताक्षर प्रति संहृत/निलंबित किए गए हैं और विवरणी के प्राप्त करने के समय विधिमान्य है ;

(ग) क्या स्रोत पर की गई कर की कटौती प्रमाण पत्र में दर्शित आय विवरणी में सही रूप से घोषित की गई है ; और

(घ) क्या स्रोत पर की गई कर की कटौती के लिए प्रत्यय का सही रूप में विवरणी में दावा किया गया है ।

(6) यदि कोई विधिमान्य चैक असफल होता है, तो कोई समुचित गलती संदेश उत्पन्न होगा और पात्र व्यक्ति को भेजा जाएगा । पात्र व्यक्ति गलती संदेश के आधार पर आंकड़े को सही करेगा और उपर्युक्तानुसार आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(7) सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के पश्चात् एक ऑनलाइन अभिस्वीकृति सं0, आय की विवरणी की फाइल करने की तारीख और समय, विवरणी की कुल आय, निर्धारण अधिकारी की विशिष्टियां देते हुए अभिस्वीकृति तैयार की जाएगी ।

(8) ऑनलाइन अभिस्वीकृति के तैयार करने की तारीख, वह तारीख समझी जाएगी जिस तारीख को आय की विवरणी फाइल की जाती है ।

6. **आय की प्रसंस्करण इंटरनेट विवरणी** -

(1) आय की इंटरनेट विवरणी पूर्विकता के आधार पर प्रसंस्कृत की जाएगी ।

(2) निर्धारिती को देय प्रतिदाय यदि कोई हो, निर्धारण अधिकारी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के इलैक्ट्रानिक निकासी सेवा (ईसीएस) का उपयोग करके उसके बैंक खाते में या तो सीधे ही जमा किया जाएगा या सीधे निर्धारिती को भेजा जाएगा ।

7. **ई-विवरणी प्रशासक**

ई-विवरणी प्रशासक आंकड़ा के सुरक्षित ग्रहण करने और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, फारमेट और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा और स्कीम के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

अनुसूची 'क'

(पैरा1 का उप पैरा (3) देखें)

क्रम सं0	नगर	क्रम सं0	नगर
(1)	(2)	(1)	(2)
1.	आगरा	35.	मदुरैई
2.	अहमदाबाद	36.	मेरठ
3.	इलाहाबाद	37.	मुम्बई
4.	अमृतसर	38.	मुजफ्फरपुर
5.	बंगलौर	39.	मैसुर
6.	बरेली	40.	नागपुर
7.	बड़ौदा	41.	नासिक

8.	भोपाल	42.	पणजी
9.	भुवनेश्वर	43.	पंचकुला
10.	बीकानेर	44.	पटियाला
11.	कालिकट	45.	पटना
12.	चंडीगढ़	46.	पुणे
13.	चैन्नई	47.	रायपुर
14.	कोचिन	48.	राजकोट
15.	कोयम्बटूर	49.	रांची
16.	दिल्ली	50.	रोहतक
17.	धनबाद	51.	संभलपुर
18.	गांधीनगर	52.	शिलांग
19.	थाणे	53.	शिमला
20.	गुवाहटी	54.	सूरत
21.	ग्वालियर	55.	टिर्की
22.	हुबली	56.	त्रिवेन्द्रम
23.	हैदराबाद	57.	उदयपुर
24.	इंदौर	58.	वाराणसी
25.	जबलपुर	59.	विजयवाड़ा
26.	जयपुर	60.	विशाखापत्तनम
27.	जालंधर		
28.	जलपाईगुड़ी		
29.	जोधपुर		
30.	कानपुर		
31.	कोल्हापुर		
32.	कोलकत्ता		
33.	लखनऊ		
34.	लुधियाना		

[अधिसूचना सं. 254/2004/फा. सं. 142/21/2004-टीपीएल]

शरत चंद्रा, निदेशक